न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 803/ 2019

1 संतोष कुमार पुत्र रामगोपाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 आदराम पुत्र रामगोपाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 रामगोपाल पुत्र तारूराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादीगण)

2 श्री रजनीकान्त अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 12.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 11 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संखय 61/49 प.न. 2/191 मु.न. 9 कि.न. 16 सालम, कि.न .17 मे 0.126 है. कि.न. 21 ता 25 सालम, कुल 1.644 है. व इसी खाता के प.न. 2/192 मु.न.12 कि.न. 2, 3, 4 सालम कुल 0. 759 है. यानि उक्त दोनो मुरब्बों की कुल 2.403 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादी संख्या1 केनाम से तहसील सादुलशहर चक 14 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 45/44इंतकाल सं. 318 विभाजन मे प.न .10/179 मु.न. 3 कि.न. 9 ता 11 सालम, कि.न. 12/1 में 0.126 है., कि.न. 20 सालम कुल 1.138 है., प.न. 9/179 मु.न. 4 कि.न. 6, 14 ता 17, 24, 25 सालम कुल 1.771 है. यानि उक्त दोनो मुरब्बों की कुल 2.909 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदार पटवार माल है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त दोनो चको की कुल 5.312 है. आराजी यानि 21 बीघा वर्णित आराजी वादीगण की जददी जायदाद एव पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है जिसे वादीगण प्राप्त करने के हकदार एव अधिकारी है। प्रतिवादीसंख्या 1 के नाम से दर्ज उक्त वर्णित आराजी का वादीगण व प्रतिवादी ने करीब 10–12 वर्ष पूर्व फैमलीसेटलमेन्अ के आधार पर घरू बंटवारा कर लिया था, तथा उक्त बंटवारानूसार वादीगण के हक हिस्सा में आयी उकत कब्जा काश्त की आराजी बंटवारा के समय से ही वादीगण बिना किसी विघ्न के लगातार काबिज एव काश्त करते आ रहे है इसलिये अपने हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की आराजी अपने नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाने के हकदार एव अधिकारी है। मद संख्या 7 में कब्जा काश्त का वर्णन किया गया। वादीगण मुताबिक घरू बंटवारा के आधार पर अपने अपने हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की उक्त वर्णित आराजी में से प्रतिवादीसंख्या 1 का नाम कलमजन करवाकर अपने अपने नाम सेदर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवाने की घोषणा पाने के हकदार एव अधिकारी है। वादीगण ने कई

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

बार प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया कि मुताबिक घरू बंटवारा के वादीगण के हक हिस्सा में आयी कब्जा काश्त की आराजी वादीगण केनाम से दर्ज रिकॉर्ड करवाने एव खाता विभाजन करवाने में सहमति प्रदान कर देवे तो प्रतिवादी संख्या 1 आज कल आज कल कर समय निकालते रहे व टाल मटौल करते रहे तो वादीगण ने आज से एक सप्ताह पूर्व गांव पन्नीवाली जाटान में पंचायत कर प्रतिवादी सं. 1 से उक्त बात कही तो प्रतिवादी संख्या 1 पंचायत के लोगों के सामने ईन्कार हो गये, बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि चक 11 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 61/49 प.न. 2/191 मु.न. 9 कि.न. 16 सालम, कि.न. 17/1 में 0.126 है., कि.न. 23, 24, 25 सालम कुल 1.138 है. व इसी खाता के प.न. 2/192 मु.न. 12 कि.न .3 में 0.127 है., कि.न. 4 सालम, कुल 0.380 है., व चक 14 एस डी पी की जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 45/44 प.न. 10/179 मु.न. 3 कि.न. 20 सालम कुल 0.253 है. उक्त दोनो चको की कुल 1.771 है. आराजी का वादी संख्या 1संतोष कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। चक 14 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2073 खाता संख्या 45/44 प.न. 9/179 मु.न. 4 कि.न. 6, 14 ता 17, 24, 25 सालम कुल 1.771 है. आराजी का वादी संख्या 2 आदराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1का नाम कलमजन किया जावे एव वादीगण का खाता अलग कायम किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीसंख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जानेका निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादीगण मे उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की, पत्रावली का अवलोकन किया, वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है एव वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुये पारिवारिक बंटवारा के अनूसार खातेदारी घोषणा एव खाता तकसीम का अनूतोष चाह रहे है जो कि आराजी पैतृक सम्पति है एव वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूका है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये इकबाल दावा स्वीकार किया है एव वादीगण के वाद पत्र मे वर्णित किला विशेष आराजी को स्वीकार किया है वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आराजी के कब्जा काश्त के सम्बध में कोई विवाद नही है एव किला विशेष आराजी का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग कायम है। इस प्रकार वादीगण ने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों, अभिकथनों व इकबाल कथनो एव बहस के आधारपर बखूबी साबित किया है, अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– (1) चक 11 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 61/49 प.न. 2/191 मु.न. 9 कि.न. 16 सालम, कि.न. 17/1 में 0.126 है., कि.न. 23, 24, 25 सालम कुल 1.138 है. व इसी खाता के प.न. 2/192 मु.न. 12 कि.न .3 में 0.127 है., कि.न. 4 सालम, कुल 0.380 है., व चक 14 एस डी पी की जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 45/44

17/2/2020
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प.न. 10/179 मु.न. 3 कि.न. 20 सालम कुल 0.253 है. उक्त दोनो चको की कुल 1.771 है. आराजी का वादी संख्या 1संतोष कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (2) चक 14 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2073 खाता संख्या 45/44 प.न. 9/179 मु.न. 4 कि.न. 6, 14 ता 17, 24, 25 सालम कुल 1.771 है. आराजी का वादी संख्या 2 आदराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एव वादीगण को प्राप्त आराजी की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 कानाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/2/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 803/ 2019

1 संतोष कुमार पुत्र रामगोपाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 आदराम पुत्र रामगोपाल जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर वादीगण

बनाम

1 रामगोपाल पुत्र तारूराम जाति कुम्हार निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राकेश सिहाग वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री रजनीकान्त अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– (1) चक 11 एस पी एम जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 61/49 प.न. 2/191 मु.न. 9 कि.न. 16 सालम, कि. न. 17/1 में 0.126 है., कि.न. 23, 24, 25 सालम कुल 1.138 है. व इसी खाता के प. न. 2/192 मु.न. 12 कि.न .3 में 0.127 है., कि.न. 4 सालम, कुल 0.380 है., व चक 14 एस डी पी की जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 45/44 प.न. 10/179 मु.न. 3 कि.न. 20 सालम कुल 0.253 है. उक्त दोनो चको की कुल 1.771 है. आराजी का वादी संख्या 1संतोष कुमार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। (2) चक 14 एस डी पी जमाबदी सम्वत 2071–2073 खाता संख्या 45/44 प.न. 9/179 मु.न. 4 कि.न. 6, 14 ता 17, 24, 25 सालम कुल 1.771 है. आराजी का वादी संख्या 2 आदराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एव वादीगण को प्राप्त आराजी की हद तक प्रतिवादी संख्या 1 कानाम कलमजन किया जाता है।

उक्तानूसार ही वादीगण का खाता अलग कायम किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.2.2020 को जारी किया गया।

12/2/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:01:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: